प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2017

विषय: जनपद लखनऊ स्थित हवाई अड्डे के रन-वे विस्तार एवं बंगला बाजार से बिजनौर मार्ग पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि के सम्बन्ध में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 07.03.2017 के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-489-91/ना0उ0नि0/2017, दिनांक 17.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रकीर्ण वाद संख्या- 32/2002, श्रीमती गंगादेई आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.03.2017 को पारित किए गए निर्णय के अनुपालन में भूमि की संशोधित दरों पर भुगतान किया जाना है। उक्त वाद में जिला प्रशासन लखनऊ द्वारा डिक्रीटल धनराशि की गण्ना की गई है, जो कुल रू0 2,82,364/- (रूपए दो लाख बयासी हजार तीन सौ चौसठ) मात्र है। अत: उक्त धनराशि को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र में किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त वाद में मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा पारित किए गए निर्णय के अनुपालनार्थ डिक्री की कुल धनराशि रू0 2,82,364/- (रूपए दो लाख बयासी हजार तीन सौ चौसठ) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ द्वारा उक्त वाद में पारित किये गये निर्णय के अनुपालनार्थ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-78/2017/1184(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्यासि) सं0सं0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- मा0 पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ न्याय अनुभाग-6
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in